

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, ०४ अक्तूबर, २०२४ / १२ आश्विन, १९४६

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

तारीख, 26 सितम्बर, 2024

संख्या:इण्ड—बी—एफ(6)—14—2014—III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 ग के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 143—राजपत्र / 2024—04—10—2024 (6703)

हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड—II—(एफ) 6—14/2014, तारीख 13 मार्च, 2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 मार्च, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) पांचवां संशोधन नियम, 2024 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
नियम 2 का संशोधन	2.	हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 2 के उप—िनयम (1) में,— (क) खण्ड (त) के स्थान पर निम्निलखित रखा जाएगा, अर्थात् "(त) 'उत्खनन' से, किसी भूमि से खिनजों की छंटाई के प्रयोजन हेतु खिनजों की खुदाई अभिप्रेत है;" (ख) खंड (ख ट) के स्थान पर निम्निलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— "(ख ट) 'राज्य भू—विज्ञानी' से उद्योग विभाग में राज्य भू—विज्ञानी अभिप्रेत है"
धारा 16 का संशोधन	3.	उक्त नियमों के नियम 16 में,— (क) उप—नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) खनन् पट्टे का नवीकरण निदेशालय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। खनन् पट्टे के नवीकरण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के साथ परामर्श के सिवाय, और सरकार के अनुमोदन से, खनन् पट्टे के नये अनुदान के लिए यथा अधिकथित प्रक्रिया के समरूप होगी। तथापि, खनन् पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन पट्टे के अवसान से छह मास से पूर्व वांछित दस्तावेजों सहित और प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट अप्रतिदेय फीस के संदाय पर प्ररूप—'ग' में किया जाएगा। आवेदक नियत अवधि में आवेदन करने में विफल रहने की दशा (मामले) में, सक्षम प्राधिकारी आवेदक से ऐसे विलंब का कारण लिखित में अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदन की अनुज्ञा दे सकेगा। यह नवीकरण इस शर्त के अध्यधीन होगा कि खान को पट्टेदार द्वारा पट्टा—विलेख के निबन्धन और शर्तों के अनुसार विकसित किया गया है और उसके द्वारा मशीनरी, उपस्करों पर पर्याप्त निवेश किया गया है और यह कि खान को वैज्ञानिक रीति से संचालित और विकसित किया गया है तथा पट्टेदार नियमों के अधीन नियमित रूप से सरकारी देयों को संदत्त कर रहा है।"

		(1917), 16 11-17 9-17, 04 31-17, 2024) 12 311(41, 1040 0703
		"(5) इन नियमों के अधीन सरकारी भूमि में प्रदान किए गए खन्न पट्टे का नवीकरण दस वर्ष की अधिकतम अविध के अध्यधीन रहते हुए पट्टे की मूल अविध से अनिधक एक या अधिक अविध के लिए किया जा सकेगा और इन नियमों के अधीन प्राइवेट भूमि में प्रदान किए गए खन्न पट्टे को एक या अधिक अविध के लिए नवीकृत किया जा सकेगा तथा नवीकरण की अविध का खन्न पट्टा क्षेत्र में उपलब्ध खनिज भंडार के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा।"
नियम 17 का	4.	उक्त नियमों के नियम 17 में,—
संशोधन ।		(क) उक्त नियमों के उप—नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(1) संयुक्त निरीक्षण सिमिति द्वारा किए गए संप्रेषण और संस्तुतियों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक के पक्ष में, खनन् पट्टा प्रदान करने हेतु सम्बद्ध विभागों से अपेक्षित पर्यावरण और अन्य क्लिॲरेन्स (मंजूरियां) प्राप्त करने तथा अन्य अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए दो वर्ष की अवधि हेतु आशय—पत्र जारी किया जाएगा।
		आशय—पत्र धारण करने वाला, उपरोक्त अवधि में अपेक्षित अनापत्ति प्राप्त करने में असफल रहने की दशा (मामले) में, आशय—पत्र की अवधि का और विस्तार का विनिश्चय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आशय—पत्र धारक द्वारा अपेक्षित अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए दिए गए कारणों और प्रगति के पुनर्विलोकन करने के बाद किया जाएगा।"
		(ख) उक्त नियमों के उप—नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(4) नवीकरण की दशा में, पट्टे की नवीकरण अवधि, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, खनन् पट्टे विलेख के नवीकरण के निष्पादन की तारीख से होगी।"
नियम 19 का	5.	उक्त नियमों के नियम 19 में,—
संशोधन।		(क) उप—नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(क) पट्टेदार को द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रॉयलेटी के साथ—साथ पट्टा क्षेत्र से निकाले जाने वाले गौण खनिजों पर तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर ई०वी० प्रभार, ऑनलाईन प्रभार और दुग्ध उपकर का अग्रिम भुगतान करना होगा। तथापि, पट्टेदार द्वारा उद्योगों को चूना भट्ठा से अन्यथा, जब कभी भी चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती है, तो पट्टेदार द्वारा चूने के लिए रॉयलेटी प्रमुख खनिज के रूप में, जो भी अधिक हो, संदत्त की जाएगी। पट्टेदार प्रत्येक वर्ष के लिए तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत ऐसा वार्षिक अनिवार्य भाटक (किराया) भी संदत्त करेगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर नियत किया जाए और यदि पट्टेदार एक ही क्षेत्र में एक से अधिक खनिज का कार्य अनुमत करता है तो सरकार ऐसे प्रत्येक गौण खनिजों की बाबत पृथक अनिवार्य भाटक (किराया) प्रभारित कर सकेगी:

परंतु पट्टेदार, प्रत्येक खनिज की बाबत या तो अनिवार्य भाटक या रॉयलेटी जो भी अधिकतर हो, संदत्त करने हेतु दायी होगा परंतु दोनों नहीं, तथापि, यदि सरकार द्वारा अपने स्तर पर खनन् प्रचालन स्थगित किया गया है तो वह अनिवार्य भाटक (किराया) या रॉयलेटी संदत्त करने हेतु दायी नहीं होगा।"

- (ख) उक्त नियमों के उप नियमों के उप—नियम (15) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
 - "(15) (क) 80 हॉर्स पावर तक बैकहो वाले टायर माउंटिड लोडर की सहायता से नदी तल से खनिज का संग्रहण / उठाव यांत्रिक खनन् नहीं माना जाएगा और ऐसे लोडर का उपयोग निदेशक की अनुज्ञा से ही प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभूति जमा किए जाने के पश्चात् अनुज्ञात किया जाएगा। निदेशक निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन लोडर के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगा:—
 - (i) केवल खनिजों के संग्रहण और उठाव की ही अनुमित होगी;
 - (ii) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;
 - (iii) खनिज का संग्रहण वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा;
 - (iv) निदेशक द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;
 - (v) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का सम्पहरण हो जाएगा।
 - (ख) उत्खनक द्वारा, नदी तल से खनिजों का उत्खनन/खुदाई यांत्रिक खनन् के रूप में मानी जाएगी, जिसके लिए खनिज रियायत धारक को प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् निदेशक से अनुज्ञा लेने से पूर्व सम्बद्ध विभागों से समस्त आवश्यक कानूनी अनापत्ति प्राप्त करनी होगी। निदेशक निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन ऐसी अनुज्ञा जारी कर सकेगा:—
 - (i) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;
 - (ii) खनिज का उत्खनन/खुदाई, अनापत्ति में नियत शर्तों के अनुसार वैज्ञानिक रीति से की जाएगी;
 - (iii) निदेशक द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;
 - (iv) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का सम्पहरण हो जाएगाः
 - (ग) पट्टा धारक भूवैज्ञानिक खंड (विंग) की अनुज्ञा और प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस तथा प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् पहाड़ी ढलान खनन् में उत्खनन का उपयोग कर सकेगा।"

		राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर, 2024 / 12 आश्विन, 1946 6707
नियम 23 का	6.	उक्त नियमों के नियम 23 में (क) उप—नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा
संशोधन।		जाएगा, अर्थात्:—
		(क) "(2) कोई भी नीलामी या निविदा या संविदा तब तक सफल नहीं समझी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस पर स्वीकृति प्रदान न की गई हो। सफल बोली / निविदा की रकम दो वर्ष की अवधि के लिए सरकार को संविदाकार द्वारा संदेय वार्षिक संविदा रकम होगी और दो वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभिक अनुदान के समय निर्धारित वार्षिक संविदा राशि को चक्रवृद्धि आधार पर प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाएगा। प्राईवेट भूमि की बोली या निविदा की दशा में अस्सी प्रतिशत वार्षिक बोली रकम सतह अधिकार धारक / भूमि धारक को संदत्त की जाएगी;
		परन्तु अधिसूचित क्षेत्र में गौण खनिजों के विदोहन से सम्बन्धित, यथास्थिति, कोई नीलामी या निविदा या संविदा पर सरकार द्वारा तब तक मंजूरी के लिए विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम सभा द्वारा संस्तुति न की गई हो।
		(ख) उप—नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(3) उप—नियम (2) के अधीन संविदाकार द्वारा सरकार को वार्षिक रूप से संदत्त की जाने वाली रकम बराबर रूप से अग्रिम त्रैमासिक किस्तों में संदेय होगी यदि वार्षिक संविदा रकम अनुमोदित खनन् योजना (प्लान) में कुल वार्षिक मात्रा के लिए संदेय रॉयलेटी से कम है, तो संविदाकार को खनन् योजना (प्लान) में अनुमोदित खनिज मात्रा की रॉयलेटी के साठ प्रतिशत के बराबर रकम या जो भी अधिक हो संदत्त करनी होगीः
		परंतु संविदाकार, सरकार द्वारा, समय—समय पर, यथा अधिसूचित वार्षिक संविदा रकम के अतिरिक्त समस्त लागू दरों, फीस और उपकर को भी संदत्त करेगा।"
		(ग) उप—नियम—(6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(6) (क) अस्सी हॉर्स पावर तक बैकहो के साथ टायर माउंटेड लोडर की सहायता से नदी तल से खनिज का संग्रहण / उठाव यांत्रिक खनन् नहीं माना जाएगा और ऐसे लोडर का उपयोग, निदेशक की अनुज्ञा से ही प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् अनुज्ञात किया जाएगा। निदेशक निम्नलिखित निबंधन शर्तों के अधीन ऐसी अनुज्ञा जारी कर सकेगा:—
		(i) केवल खनिजों के संग्रहण और उठाव की ही अनुमति होगी;
		(ii) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;
		(iii) खनिज का संग्रहण वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा;
		(iv) निदेशक द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;

(v) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के

उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का समपहरण हो जाएगा।

- (ख) उत्खनक द्वारा, नदी तल से खनिजों का उत्खनन/खुदाई यान्त्रिक खनन के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए खनिज रियायत धारक को प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् निदेशक से अनुज्ञा लेने से पूर्व सम्बन्द्व विभागों से समस्त आवश्यक कानूनी अनापित प्राप्त करनी होगी। निदेशक निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन ऐसी अनुज्ञा जारी कर सकेगा:—
 - (i) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;
 - (ii) खनिज का उत्खनन/खुदाई, अनापित्त में नियत शर्तों के अनुसार वैज्ञानिक रीति से की जाएगी;
 - (iii) निदेशक द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;
 - (iv) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का सम्पहरण हो जाएगा।
- (ग) पट्टाधारक, भूवैज्ञानिक खंड (विंग) की अनुज्ञा और प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस तथा प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् पहाड़ी ढलान में उत्खनक का उपयोग कर सकेगा।"
- (घ) उप-नियम (८) का लोप किया जाएगा।

उक्त नियमों के नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"23.क संविदा का अंतरण-

- (1) संविदाकार, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अपने संविदा या इसमें किसी अधिकार, हक या हित को, किसी व्यक्ति या निकाय जो प्रत्यक्षतः खनन् प्रचालन कर रहा है, सम्बद्ध खनन् अधिकारी से कोई खनन बकाया न होने का विधिमान्य प्रमाण पत्र धारक है को प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राशि के संदाय पर समन्देशित, शिकमी देना या अंतरणी कर सकेगा।
- (2) आवेदक, किसी व्यक्ति जो सम्बद्ध खनन् अधिकारी से कोई खनन् बकाया न होने का विधिमान्य प्रमाणपत्र धारक है के हित में पहले से ही जारी 'आशय पत्र' या 'मंजूरी आदेश' के शीर्षक (हक) या नाम को भी प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रकम के संदाय पर भी परिवर्तित कर सकेगा।
- (3) जहां उप—नियम (1) के अधीन संविदा के अंतरण हेतु आवेदन किया जाता है और जहां सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी संविदा के अंतरण के लिए अनुमोदन दे दिया है वहां अंतरण करार विलेख 'प्ररूप अ' पर आदेश के जारी होने की तारीख के तीन मास या ऐसी और अवधि जैसी मंजूरी प्राधिकारी इस निमित अनुज्ञात करने के भीतर मूल करार विलेख की उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर निष्पादित किया जाएगा;

नियम 23 क का अंतःस्थापन

		राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर, 2024 / 12 आश्विम, 1946 6709
नियम 29, 30, 31 और 32 का लोप	7.	परंतु अंतरिती नीलामी / निविदा और मूल करार विलेख के समस्त निबंधनों और शर्तों द्वारा आबद्ध और उनका पालन ऐसे करेगा जैसे अंतरक करता है: परंतु यह और कि संविदा पर प्रदान किया गया क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के भीतर व्यक्तिगत रूप से अंतरिती या किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त हित के लिए सौ (100) हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा।" उक्त नियमों के नियम 29, 30, 31 और 32 का लोप किया जाएगा।
नियम 33 का संशोधन	8.	उक्त नियमों के नियम 33 में,— (क) उप—नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उत्पादित गौण खनिजों को विनिर्दिष्ट प्रयोजन तथा अवधि के लिए उठाने/उनका परिवहन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा। अनुज्ञा, तहसीलदार, सहायक अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग) और खनन् अधिकारी, जो इनके भण्डार की उपलब्धता का निर्धारण भी कर सकेगा, से गठित समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात् प्रदान की जाएगी।
		स्पष्टीकरण:—(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए विकासात्मक कार्यकलापों से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सुरंगों का उत्खनन, सड़कों / रेलपथों और विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों / राज्य उच्च मार्गों की संयोजकता के लिए सुरंगों का सन्निर्माण, जलाशय से गाद निकालना, मानसून के मौसम के पश्चात् कृषि क्षेत्रों और घास वाली भूमि में से दो मीटर गहराई तक रेत और बजरी को हटाना, प्लॉटों का विकास, मतस्य पालन तालाबों का उत्खनन् और किसी अन्य प्रकार के विकासात्मक कार्यकलाप अभिप्रेत हैं:
		परंतु अनुमोदित जलविद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग / एक्सप्रेस मार्ग, राज्य राजमार्ग / हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की सड़क की किटंग से उत्पन्न सामग्री के मामले में, जलाशय से गाद निकालना, संविदाकार द्वारा लगाए हुए उप—संविदाकार या सम्बद्ध अभिकरण, तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण प्रभार के साथ रॉयलेटी का संदाय करने के पश्चात् सम्बद्ध अभिकरण के प्रतिनिधि सिहत सम्बद्ध खनन् अधिकारी, जो सहायक अभियंता की पंक्ति से नीचे का न हो या समकक्ष द्वारा स्टॉक के सत्यापन के पश्चात् ऐसी सामग्री का उपयोग कर सकेगाः
		परंतु यह कि यदि संविदाकार द्वारा लगाए हुए उप—संविदाकार या सम्बद्ध अभिकरण को परियोजना के निष्पादन के दौरान इस प्रकार उत्पन्न सामग्री की पूर्ण मात्रा की आवश्यकता नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, इस उप—नियम में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा मात्रा के सत्यापन के पश्चात् सम्बद्ध अभिकरण की सहमति से पांच किलोमीटर के दायरे

0/10		711	जन्म, हिनावर्रा प्रदरा, ७४ अपर्तूबर, २०२४/ १२ आरियम, १९४०
			में किसी भी हितबद्ध व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामग्री के उपयोग के लिए रॉयलेटी, प्रसंस्करण और लागू करों के संदाय पर अनुमित दे सकेगाः परंतु यह और भी कि पांच किलोमीटर की दूरी की यह शर्त लागू नहीं होगी यदि समिति अधिकतम दस किलोमीटर की दूरी के अध्यधीन रहते हुए विशिष्ट स्थल शर्तों पर विचार और परीक्षण करते हुए पांच किलोमीटर के दायरे से परे सामग्री का उपयोग करने की व्यवहार्यता की सिफारिश करती है।"
			(ख) उप—नियम (2) के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
			"(i) विक्रय योग्य खनिज पर रॉयल्टी तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण प्रभारों सहित द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अग्रिम में प्रभारित की जाएगी।"
नियम 34 संशोधन	का	9.	उक्त नियमों के नियम 34 के खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
			"(iv) नदी–तल में खनन् की गहराई दो मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगीः
			परंतु जहां संयुक्त निरीक्षण सिमित अपेक्षित सरिणकरण वाले कितपय स्थानों में खनिज के अत्यधिक जमाव या अधिक ढेर के सम्बन्ध में प्रमाणित करती है तो यह नदी के निश्चित स्थानों पर तीन मीटर तक हो सकेगा।"
नियम 75 संशोधन।	का	10.	उक्त नियमों के नियम—75 के उप—नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
			"(3) कोई भी व्यवहारी एक मास में पांच सौ मीट्रिक टन से अधिक गौण सामग्री का उपापण, भंडारण या विक्रय नहीं करेगा।"
_	का	11.	उक्त नियमों के नियम 78 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
प्रतिस्थापन ।			"78. अवैध भण्डारण हेतु शस्तिक उपबंध,— नियम 75 के उप—नियम (1), (2) और (3) का कोई उल्लंघन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक होगी या जुर्माने से जो 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगाः
			परंतु नियम 75 के उप—नियम (1), (2) और (3) के प्रथम और द्वितीय उल्लंघन का अधिनियम की धारा 22 के अधीन सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा और पश्चात्वर्ती उल्लंघन के सम्बन्ध में मामला इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में दायर किया जा सकेगाः
I			परंतु यह और कि प्रशमन फीस की रकम कम से कम 50,000/— रुपए
			जमा स्थल पर अवैध रूप से भण्डार की गई कुल सामग्री के बाजार विक्रय मूल्य से कम नहीं होगी।"
प्ररूप— 'च' संशोधन।	का	12.	जमा स्थल पर अवैध रूप से भण्डार की गई कुल सामग्री के बाजार विक्रय

"4. अस्सी होर्स पावर तक बैकहो के साथ टायर माउंटेड लोडर की सहायता से नदी तल से खनिज का संग्रहण/उठाव यांत्रिक खनन् नहीं माना जाएगा और ऐसे लोडर का उपयोग इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों सहित प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभूति का निक्षेप किए जाने के पश्चात् निदेशक की अनुज्ञा से ही अनुज्ञात किया जाएगा। उत्खनक द्वारा, नदी के तल से खनिजों का उत्खनन / खुदाई यांत्रिक खनन के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए खनिज रियायत धारक को नियमों में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों सहित प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् निदेशक से अनुज्ञा लेने से पूर्व सम्बद्ध विभागों से समस्त आवश्यक कानूनी अनापत्ति प्राप्त करनी होगी। पट्टा धारक, भूवैज्ञानिक खंड (विंग) की अनुज्ञा सहित और प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क तथा प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् पहाड़ी ढलान खनन में उत्खनक का प्रयोग कर सकेगा।" उक्त नियम में प्ररूप-'ञ' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-प्ररूप –'ञ' का 13. प्रतिस्थापन "प्ररूप—'ञ' [नियम 21(3) और 23-क देखें] खनन् पट्टा करार के अन्तरण हेतु प्ररूप खनन पटटे के अन्तरण की दशा में,--जब अंतरक एक व्यष्टि है.....। यह करार स्वयं पक्षकार के रूप में श्री...... (पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरक कहा गया है और इस पद के अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है इसके वारिस, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती समझे जाएंगे)। जब अन्तरक एक व्यष्टि से अधिक है (पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम) जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, इनके अपने–अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे। जब अन्तरक एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है।(समस्त भागीदारों के पते सहित व्यक्ति का नाम) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारों में कारोबार करने वाली.....में अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रखने वाली (जिसे इसमें इसके पश्चात् अन्तरक कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है उक्त समस्त भागीदार इनके अपने–अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समुदेशिती भी समझे जाएंगे)। जब अन्तरक एक रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है(कम्पनी का नाम) कम्पनी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (पता) में है...... के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन नियमित और प्रथम पक्षकार के रूप में कम्पनी (जिसे इसमें इसके पश्चात "अन्तरक" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल, इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी है समझे जाएंगे)।

और जब अंतरिती एक व्यष्टि है......। (पते और व्यवसाय सहित व्यष्टि का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरिती कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है इसके वारिस, निष्पादक प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)।

जब अंतरिती एक व्यष्टि से अधिक है............ (पते और व्यवसाय सिहत व्यक्ति का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है इनके अपने अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुन्नेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)।

जब अन्तरिती एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है।(समस्त भागीदारों के पते सिहत व्यक्ति का नाम) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है फर्म के नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारों में कारोबार करने वाली................. (फर्म का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अन्तरिती" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है उक्त समस्त भागीदार उनके अपने—अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुक्नेय समुदेशिती भी समझे जाएंगे)।

जब अन्तरिती एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है। (कम्पनी का नाम) अधिनयम जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है(पता) में है कम्पनी द्वितीय पक्षकार के रूप में कम्पनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अन्तरिती" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञेय समुदेशिती भी समझे जाएंगे) दूसरे पक्षकार के रूप में कम्पनी और तीसरे पक्षकार के रूप में राज्यपाल के माध्यम से इसके पश्चात्(जिन्हें इसके राज्य सरकार कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है उत्तराधिकारी और समुदेशिती भी समझे जाएंगे) के बीच आज तारीख....... को किया गया।

 निम्नलिखित निबन्धन और शर्तें तय करके अन्तर्विष्ट की गई है। यह विलेख इस बात का साक्षी है कि:—

- 1. अंतिरिती, राज्य सरकार के साथ एतद् द्वारा प्रसंविदा करता है कि पट्टे के अन्तरण और समनुदेशन से और इसके पश्चात्, अंतिरिती, इसमें इसके पूर्व परिवर्णित उक्त पट्टे में अंतर्विष्ट समस्त प्रसंविदाओं, अनुबंधों और शर्तों के समस्त उपबंधों के अध्यधीन होगा और उनके निष्पादन, अनुपालन और अनुरूप के लिए उसी रीति में सभी प्रकार से बाध्य और दायी होगा, मानो अंतिरिती को पट्टा उसके अधीन पट्टेदार के तौर पर प्रदान किया गया है और उसने इसे मूल रूप से इस प्रकार निष्पादित किया है।
- 2. इसके अतिरिक्त एक पक्षकार के रूप में अंतरक द्वारा और दूसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती द्वारा एतद्द्वारा यह भी करार पाया गया है और घोषित किया जाता है कि—
 - (i) अंतरक और अंतरिती घोषणा करते हैं कि उन्होंने सुनिश्चित किया है कि उस क्षेत्र पर, जिसके लिए खनन् पट्टा अंतरित किया जा रहा है, खनिज अधिकार राज्य सरकार में निहित है।
 - (ii) अंतरक एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उसने खनन् पट्टा जो अब अंतरित किया जा रहा है, को समनुदेशित, सबलेट, बंधक या किसी अन्य रीति में अंतरिती नहीं किया है और यह कि अन्तरित किए जा रहे विद्यमान खनन् पट्टे के अधीन किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं है।
 - (iii) अंतरक यह भी घोषणा करता है कि उसने ऐसे कोई करार, संविदा या समझौता नहीं किया है जिसके द्वारा वह प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी स्थायी विस्तार तक वित्तपोषित हो या जिसके अंतर्गत अन्तरक का परिचालन अथवा समझौते, अन्तरक से अथवा किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थायी रूप से नियन्त्रित किए जा रहे थे/किए जा रहे हैं।
 - (iv) अंतरिती एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उसने उन समस्त शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जो ऐसे संविदा की बाबत अंतरक के पास थे।
 - (v) अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि वित्तीय रूप से समर्थ है और खनन् परिचालनों को प्रत्यक्षतः जिम्मा लूंगा।
 - (vi) अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि उसने यह कथन करते हुए शपथ—पत्र दाखिल कर दिया है कि उसने अद्यतन आय कर विवरणियां दाखिल कर दी हैं।
 - (vii) अंतरक ने अंतरिती को क्षेत्र में संकर्मों की समस्त योजनाओं की मूल या अनुप्रमाणित प्रतियां दे दी हैं।
 - (viii) अंतरक ने इस संविदा की बाबत आज की तारीख तक सरकार को समस्त भाटक, रॉयलेटी और अन्य देय संदत्त कर दिए हैं।

इसके साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने उपरोक्त लिखित तारीख और वर्ष को इस पर अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

Ţ	जपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर, 2024 / 12 आश्विन, 1946
	अनुसूची
	संविदा की अवस्थिति और क्षेत्र
	(परगना)रिजस्ट्रीकरण जिला उप जिला और थाना में (क्षेत्र या क्षेत्रों का विवरण) पर स्थित भूकर सर्वेक्षण संख्याओं वाली क्षेत्र से अंतर्ग्रस्त भूमि के भू—भागों को इससे संलग्न योजना पर उसके सम्बन्ध में अंकित कर दिया गया है और उसे निम्न प्रकार से रंगीन और सीमांकित कर दिया है:—
	उत्तर मेंद्वारा दक्षिण मेंद्वारा पूर्व मेंद्वारा और पश्चिम मेंद्वारा
	साक्षियों की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए
	साक्षी 1. 2.
	 साक्षियों की उपस्थिति में अंतरक के हस्ताक्षर
	1. सक्षियों की उपस्थिति में अंतरिती के हस्ताक्षर
	2. या
	संविदा के अन्तरण की दशा में
	जब अंतरक एक व्यष्टि है। यह करार स्वयं पक्षकार के रूप में श्री(पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है इसके वारिस, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)।
	जब अंतरक एक व्यष्टि से अधिक है (पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम) जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, इसके अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)।

जब अंतरक एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है।(समस्त भागीदारों के पते सहित व्यक्ति का नाम) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारों में कारोबार करने वाली...मं अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रखने वाली (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अन्तरक" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है उक्त समस्त भागीदार इनके अपने-अपने वारिस,

निष्पादक, विधिक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)।



अंतरिती के साथ करार करते हुए अंतरिती की शर्तों के आधार पर पट्टे का ऐसा अंतरण और समनुदेशन करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी है और इसके पश्चात् इसमें निम्नलिखित निबन्धन और शर्तें तय करके अन्तर्विष्ट की गई है।

यह विलेख इस बात का साक्षी है कि:-

- 1. अंतरिती, राज्य सरकार के साथ एतद्द्वारा प्रसंविदा करता है कि पट्टे के अन्तरण और समनुदेशन से और इसके पश्चात, अंतरिती, इसमें इसके पूर्व परिवर्णित उक्त पट्टे में अंतर्विष्ट समस्त प्रसंविदाओं, अनुबंधों और शर्तों के समस्त उपबंधों के अध्यधीन होगा और उनके निष्पादन, अनुपालन और अनुरूप के लिए उसी रीति में सभी प्रकार से बाध्य और दायी होगा, मानों अंतरिती को पट्टा उसके अधीन पट्टेदार के तौर पर प्रदान किया गया है और उसने इसे मूल रूप से इस प्रकार निष्पादित किया है।
- 2. इसके अतिरिक्त एक पक्षकार के रूप में अंतरक द्वारा और दूसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती द्वारा एतद्, द्वारा यह भी करार पाया गया है और घोषित किया जाता है कि—
 - अंतरक और अंतरिती घोषणा करते हैं कि उन्होंने सुनिश्चित किया है कि उस क्षेत्र पर, जिसके लिए खनन् पट्टा अंतरित किया जा रहा है, खनिज अधिकार राज्य सरकार में निहित है।
 - ॥. अंतरक एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उसने खनन् पट्टा जो अब अंतरित किया जा रहा है, को समनुदेशित, सबलेट, बंधक या किसी अन्य रीति में अंतरिती नहीं किया है और यह कि अन्तरित किए जा रहे विद्यमान खनन् पट्टे के अधीन किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं है।
 - आतरक यह भी घोषणा करता है कि उसने ऐसे कोई करार, संविदा या समझौता नहीं किया है जिसके द्वारा वह प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी स्थायी विस्तार तक वित्तपोषित हो या जिसके अंतर्गत अन्तरक का परिचालन अथवा समझौते, अन्तरक से अथवा किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थायी रूप से नियन्त्रित किए जा रहे थे/किए जा रहे हैं।
 - IV. अंतरिती एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उसने उन समस्त शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जो ऐसे संविदा की बाबत अंतरक के पास थे।
 - अंतिरती यह भी घोषणा करता है कि वित्तीय रूप से समर्थ है और खनन परिचालनों का प्रत्यक्षतः जिम्मा लूंगा।
 - VI. अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि उसने यह कथन करते हुए शपथ—पत्र दाखिल कर दिया है कि उसने अद्यतन आय कर विवरणियां दाखिल कर दी हैं।
 - VII. अंतरक ने अंतरिती को क्षेत्र में समस्त योजनाओं की मूल या अनुप्रमाणित प्रतियां दे दी है।

		VIII. अंतरक ने इस संविदा की बाबत आज की तारीख तक सरकार को
		समस्त भाटक, रॉयलेटी और अन्य देय संदत्त कर दिए हैं।
		इसके साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने उपरोक्त लिखित तारीख और वर्ष को इस पर अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
		2
		अनुसूची
		संविदा की अवस्थिति और क्षेत्र
		(परगना)रिजस्ट्रीकरण जिलाउप जिला
		उत्तर मेंद्वारा दक्षिण मेंद्वारा पूर्व मेंद्वारा और पश्चिम मेंद्वारा
		साक्षियों की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए
		साक्षी 1. 2.
		साक्षियों की उपस्थिति में अंतरक के हस्ताक्षर 1.
		2.
		सक्षियों की उपस्थिति में अंतरिती के हस्ताक्षर 1.
		2. "
प्ररूप 'ट' का संशोधन।	14.	उक्त नियमों के प्ररूप 'ट' के भाग—IV की क्रम संख्या (21) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"21. 80 (अस्सी) हॉर्सपावर तक के बैकहों के साथ टायर माउंटेड लोडर की सहायता से नदी तल से खनिज का संग्रहण / उठाव यांत्रिक खनन् नहीं माना जाएगा तथा ऐसे लोडर का उपयोग निदेशक की अनुमित से ही नियमों के विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क (फीस) और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् किया जाएगा।
		उत्खनन के साथ नदी तल से खनिजों का उत्खनन/खुदाई को यांत्रिक खनन् के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए खनिज रियायत धारक को नियमों में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस (शुल्क)

0/18	417	जपत्र, १६	मायल प्रदश,	04 अक्तूबर, 2024 <i>/</i>	/ 12 जाारपन, 1946				
			और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् निदेशक से अनुमति लेने से पूर्व संबंधित विभागों से समस्त आवश्यक कानूनी अनुमति प्राप्त करनी होगी।						
		वि	पट्टाधारक, भूवैज्ञानिक (विंग) की अनुमित से तथा प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस (शुल्क) और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् पहाड़ी ढलान खनन् में उत्खनक का उपयोग कर सकेगा।"						
अनुज्ञा पत्र (परमिट)	15.	उक्त नि	उक्त नियम से संलग्न प्ररूप—'ठ' का लोप किया जाएगा।						
से प्ररूप—'ठ' का लोप									
प्रथम अनुसूची	16.				के क्रम संख्या 2,4,5,6,7,9,11,12,13,14 और				
का संशोधन		15 के ^उ	स्थान पर निम	नलिखित रखा जाए	गा, अर्थात्:–				
		नियमों	के अधीन अ	पेक्षित फीस					
		क्रम	नियम	विशिष्टियां	फीस (रुपयो में)				
		संख्या	-(-)(-r)		To 05000 ((0115)				
		2	7(ज)(झ) और 16(2)	खनन् पटटे / खनन् पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन फीस	रू० २५००० / —(अप्रतिदेय)				
		4	19(15) और	नदी तल से यांत्रिक	पचास लाख रुपये				
			23(6)	खनन् हेतु आवेदन फीस	(₹0 50,00,000 ∕ −)				
				47101	10 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु दो (02) वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर एक लाख रुपये (रु० 1,00,000/—) प्रति हैक्टेयर (अप्रतिदेय)				
				नदी तल में यांत्रिक खनन् के लिए प्रतिभूति	दो (02) वर्ष की अवधि के लिए पच्चीस लाख रूपये (रू0 25,00,000 / —)				
				पहाड़ी ढलान में यांत्रिक खनन के लिए आवेदन फीस	पांच (05) हैक्टेयर तक के लिए पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए 5,00,000 / —रू० और उसके पश्चात् 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर पच्चीस हजार (25,000 / —) रू० प्रति हैक्टेयर (अप्रतिदेय)				
				यांत्रिक खनन् के लिए प्रतिभूति	₹0 2,00,000 / -				
				बैकहों के साथ 80 हॉर्स पावर तक के टायर माउंटेड लोडर के लिए आवेदन फीस	पांच (05) हैक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए दो (02) वर्ष की अवधि के लिए बारह लाख (12,00,000 / –) रू० और उसके पश्चात् आनुपातिक आधार पर 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पच्चीस हजार (25,000 / –) रू० प्रति हैक्टेयर (अप्रतिदेय)				
				बैकहो से साथ 80 हॉर्स पावर तक के टायर माउंटेड फंट	₹0 2,50,000 / —				

			1	.,	
				एंड लोडर के लिए प्रतिभूति	
		5	21(1) और 23 (क)	खनन् पटटे के अंतरण और संविदा	खनन् पट्टे के मामले में:
			25 (17)	के अंतरण के लिए फीस	5 हैक्टेयर क्षेत्र तक रू0 2,50,000/— (अप्रतिदेय) और उसके पश्चात् आनुपातिक आधार पर 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए रू0 50,000/— प्रति हैक्टेयर।
					नीलामी / निविदा के मामले में:
					5 हैक्टेयर क्षेत्र तक रू0 5,00,000/— (अप्रतिदेय) और उसके पश्चात् आनुपातिक आधार पर 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए रू0 1,00,000/— प्रति हैक्टेयर।
		6	21(2) और 23 (क)	आशय पत्र और मन्जूरी आदेश के	खनन पट्टे के मामले में:
			25 (47)	अंतरण और संविदा के अंतरण के लिए फीस	रू० 1,00,000 / — (अप्रतिदेय) 5 हैक्टेयर क्षेत्र तक और उसके पश्चात् आनुपातिक आधार पर 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए रू० 20,000 / — प्रति हैक्टेयर।
					नीलामी / निविदा के मामले में:
					5 हैक्टेयर क्षेत्र तक रू० 2,50,000/— (अप्रतिदेय) और उसके पश्चात् आनुपातिक आधार पर 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए रू० 50,000/— प्रति हैक्टेयर।
		7	29(3)	अनुज्ञा पत्र (परमिट) के लिए आवेदन फीस	लोप किया गया।
		9	40(2)	खनन योजना के उपान्तरण हेतु फीस	₹50 25,000 / —
		11	60	अपील करने के लिए फीस	रू० 5,000 / —(अप्रतिदेय)
		12	68(2)	स्टोन क्रशर स्थल का संयुक्त निरीक्षण करने हेतु आवेदन फीस	रू० २०,००० / —(अप्रतिदेय)
		13	69(1)	स्टोन क्रशर के स्थायी रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन फीस	रू० 25,000 / —(अप्रतिदेय)
		14	74 (2) (क)	व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन फीस	रू० २,50,000 / —(अप्रतिदेय)
		15	77	व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रतिभूति	₹0 2,50,000 / —
50	17	उक्त नि	नयमों से संल	ग्न तृतीय अनुसूची	, , , ,
का संशोधन		(ক)			ग्रान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-
			"ख. सरका	री भूमि हेतु सतही व	भाटक की रूपयों में दरें प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष

0720	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-1 171, 10 11		, 01 9110	11, 202	1/ 12 911	1891, 1940				
		[नियम 19 (1) (घ) देखें]									
			क्रम सं0	गौण खनिज का नाम			सतः	सतही भाटक की दर			
			1	समस्त गौण खनिज			रू0 50,000/— प्रति हैक्टेयर				
				ों से संल 1 किया ज			के भाग–ख	के प	के पश्चात् निम्नलिखित		
		"ग	. उपकर				(1) (क) औ				
			क्रम खनिज का नाम सं0		उपकर और प्रभार का नाम		नियम के अधीन आवश्यक दर (प्रति टन)				
			1	1 समस्त गौण खनिज			ऑनलाईन फीस		रू0 5/-		
			2			गौण खनिज ईवी प्रभार			रू0 5 ∕ -		
			3		गैण खनि		दुग्ध उपक		₹50 2/-		
			4	समस्त गौण			प्रसंस्करण		रॉयलेटी प्रतिशत बराबर।"	के	
चौथी अनुसूची का संशोधन।	18.		मों से संलग्न चौर्थ निखत रखा जाएगा,		ग्न चौथी अनुसूची के निय । जाएगा, अर्थात्:–						
			नियम		र्स	ोमा	प्राधिकृत अधिकार्		सीम	П	
			30	30		खनिज निकालने गुज्ञा पत्र करने की	निदेशक उ	द्योग	लोप जाएगा।	किया	

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित / –
(आर.डी.नज़ीम, भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव (उद्योग)

[Authoritative English text of this Department Notification No. Ind-B-F(6)-14/2014-III, dated 26-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 26th September, 2024

No. Ind-B-F(6)-14/2014-III.—In exercise of the powers conferred by Section 15 read with section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor,

Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 notified *vide* this Department's Notification No. Ind-II(F)6-14/2014, dated 13-03-2015 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 21-03-2015, namely:—

Short title and 1. commencement:	(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Fifth Amendment Rules, 2024.
	(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Amendment of 2.	In rule 2 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and
rule 2:	Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage)
	Rules, 2015 (hereinafter referred to as 'said rules'), in sub-rule (1),
	for clause (p), the following shall be substituted, namely:—
	"(p) 'excavation' means digging of minerals for the purpose of winning of minerals from any land".
	(a) for clause (zk), the following shall be substituted, namely:— (b)
	"(zk) 'State Geologist' means State Geologist in the
	Department of Industries".
Amendment of 3.	In rule 16 of the said rules,—
rule 16:	(a) for the sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—
	"(2) The renewal of mining lease shall be granted at Directorate level by the Competent Authority. The procedure to be followed for renewal of mining lease shall be similar to the procedure as laid down for fresh grant of mining lease, except consultation with concerned Gram Panchayat and approval from the Government. However, the application for renewal of mining lease shall be made in 'FORM-C' containing requisite documents before six months of the expiry of the lease and upon payment of a non refundable fee as specified in the FIRST SCHEDULE. In case, the applicant fails to apply in the stipulated period, the Competent Authority may allow the application, only after obtaining the reasons in writing from the applicant for such delay. This renewal shall be subject to the condition that the mine has been developed by the lessee in accordance with the terms and conditions of the lease deed and that the substantial investments in machinery, equipments have been made by him and that the mine has been worked and developed in a scientific manner and that

0722	(1011	त्र, हिमायल प्रदरा, ०४ अपर्तूबर, २०२४/ १२ आरियम, १९४०
		the lessee has been paying the Government dues regularly under the rules."
		 (b) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely:— "(5) The mining leases granted under these rules in Government land may be renewed for one or more terms not exceeding the original period of lease, subject to maximum period of ten years and the mining leases granted under these rules in private land may be renewed for one or more terms and the period of renewal shall be decided as per mineral reserves available in the mining lease area."
Amendment of	4.	In rule 17 of the said rules,—
rule 17:		,
1		(a) for sub-rule (1) of the said rules, the following shall be substituted namely:—
		"(1) On the basis of observations and recommendations made by the Joint Inspection Committee, Letter of Intent for a term of two years shall be issued by the Competent Authority in favour of applicant for obtaining requisite environmental and other clearances from concerned Departments and completion of other required formalities for the grant of mining lease.
		In case, the Letter of Intent holder fails to procure the requisite clearances in the above said period, the further extension of the period of Letter of Intent shall be decided by the Competent Authority after reviewing the reasons and progress made for obtaining requisite clearances by the Letter of Intent holder."
		(b) for sub-rule (4) of the said rules, the following shall be substituted, namely:—
		"(4) In case of renewal, the renewal period of lease shall be from the date of execution of renewal of mining lease deed unless otherwise stated."
Amendment of	5.	In rule 19 of the said rules,—
rule 19:		(a) for clause (a) of sub-rule (1), the following shall be substituted namely:—
		"(a) The lessee shall pay royalty at the rate specified in the SECOND SCHEDULE along with EV charges, online charges and milk cess in advance on the minor minerals to be removed from the leased area at the rate specified in the THIRD SCHEDULE. However, as and when the limestone is supplied by the lessee to the Industries other than limekiln, royalty shall be paid by the lessee for the lime as

major mineral, whichever is more. The lessee shall also pay for every year, such yearly dead rent within the limits specified in THIRD SCHEDULE as may be fixed from time to time by the Government and if the lease permits the working of more than one mineral in the same area, the Government may charge separate dead rent in respect of each minor minerals:

Provided that the lessee shall be liable to pay either dead rent or royalty in respect of each mineral whichever is higher but not both, however, he shall not be liable to pay dead rent or royalty, if mining operation has been suspended by the Government at its own."

(b) for sub-rule (15) of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"(15)(a) The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the help of tyre mounted loader with backhoe upto 80 Horse Power shall not be treated as mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE. The Director may issue such permission under the following terms and conditions:—

- (i) Only collection and lifting of the mineral is allowed;
- (ii) Natural flow of the water shall not be disturbed;
- (iii) The collection of mineral shall be done in a scientific manner;
- (iv) Any other condition imposed by the Director;
- (v) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of permission and forfeiture of security amount thereof.
- (b) The excavation/digging of minerals from riverbed with excavator shall be treated as mechanical mining for which the mineral concession holder shall obtain all the necessary statutory clearances from concerned departments prior to the permission from the Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE. The Director may issue such permission under the following terms and conditions:—
 - (i) Natural flow of the water shall not be disturbed;
 - (ii) The excavation/digging of mineral shall be done in a scientific manner as per the conditions stipulated in the clearances;
 - (iii) Any other condition imposed by the Director;
 - (iv) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of

permission and forfeiture of security amount thereof: (c) The lease holder may use excavator in hill slope mining with the permission of Geological Wing and after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE." In rule 23 of the said rules, of Amendment 6. **rule 23:** (a) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:— "(2) No auction or tender or contract shall be considered as successful unless accepted by the Competent Authority. The amount of the successful bid/tender shall become the annual contract money payable by the Contractor to the Government for a period of two years and after completion of two years, the annual contract money determined at the time of initial grant shall be increased at the rate of 10% per annum in a compounding manner. In case of auction or tender of private land, 80% of annual bid amount shall be paid to the surface right holder/land holder: Provided that no auction or tender or contract, as the case may be, regarding exploitation of minor minerals in 'Scheduled areas' shall be considered by the Government for acceptance unless recommended by Gram Sabha." (b) for sub-rule (3) the following shall be substituted, namely:— "(3) The amount to be paid annually by contractor under sub-rule (2) to the Government shall be payable in equal quarterly installments in advance. In case, the annual contract money is less than the royalty payable for the total annual quantity in the approved mining plan, the contractor shall have to pay an amount equivalent to 60% of the royalty of the approved mineral quantity of mining plan or whichever is higher: Provided that the contractor shall also pay all the applicable taxes, fee and cess in addition to annual contract money as notified by the Government from time to time." (c) for sub-rule (6) the following shall be substituted namely:— "(6)(a) The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the help of tyre mounted loader with backhoe upto 80 Horse Power shall not be treated as mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE. The Director may issue such permission under the following terms and conditions:— Only collection and lifting of the mineral is (i)

allowed:

- (ii) Natural flow of the water shall not be disturbed;
- (iii) The collection of mineral shall be done in a scientific manner:
- (iv) Any other condition imposed by the Director;
- (v) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of permission and forfeiture of security amount thereof:
- (b) The excavation/digging of minerals from riverbed with excavator shall be treated as mechanical mining for which the mineral concession holder shall obtain all the necessary statutory clearances from concerned departments prior to the permission from the Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE. The Director may issue such permission under the following terms and conditions:—
 - (i) Natural flow of the water shall not be disturbed;
 - (ii) The excavation/digging of mineral shall be done in a scientific manner as per the conditions stipulated in the clearances;
 - (iii) Any other condition imposed by the Director;
 - (iv) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of permission and forfeiture of security amount thereof.
- (c) The lease holder may use excavator in hill slope mining with the permission of Geological Wing and after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE."
- (d) sub-rule (8) of rule 23 shall be omitted.

Insertion of rule 23-A:

In the said rules, after rule 23, the following rule shall be inserted, namely:—

- "23-A, Transfer of contract.—(1) The Contractor may, with the prior approval of the Competent Authority assign, sublet or transfer his contract or any right, title or interest therein to any person or body directly undertaking mining operation, holding a valid Certificate of No Mining Dues from concerned Mining Officer on payment of a sum as specified in the FIRST SCHEDULE.
- (2) The applicant may also change the title or name of the already issued 'Letter of Intent' or 'Sanction Order' in favour of any person holding a valid Certificate of No Mining Dues from concerned Mining Officer on the payment of a sum as

6726	राजप	त्र, हिमाचल प्रदेश, ०४ अक्तूबर, २०२४ / १२ आश्विन, १९४६
		specified in the FIRST SCHEDULE.
		(3) Where an application for transfer of contract under sub-rule (1) is made and the Competent Authority has given approval for transfer of such contract, a transfer agreement deed shall be executed on 'FORM-J' on the same terms and conditions of the original agreement deed within three months from the date of issue of the Order or within such further period as the granting Authority may allow in this behalf: Provided that the transferee shall be bound and abide by all
		the terms and conditions of the auction/tender and original agreement deed in as such as the Transferor:
		Provided further that the area granted on contract shall not exceed 100 Hectares for transferee individually or with any person joint in interest within Himachal Pradesh."
Omission of Rule 29, 30, 31 and 32:	7.	Rule 29, 30, 31 and 32 of the said rules shall be omitted.
Amendment of	8.	In rule 33 of the said rules,—
rule 33:		
		(a) for sub-rule (1) of the said rules, the following shall be substituted, namely:—
		"(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Director or any Officer authorized by him in this behalf, may grant permission for lifting/transportation of minor minerals generated during various developmental activities and natural calamities for a specific purpose and period. The permission will be given after the site is inspected by a Committee consisting of Tehsildar, Assistant Engineer (Public Works Department) and Mining Officer which may also assess the availability of stock thereof.
		Explanation:—For the purpose of this rule the developmental activities shall mean excavation of tunnel for hydro electric projects, construction of tunnels for connectivity of roads/railways track and construction of various National Highways/State Highways/any other roads, de-silting of reservoir, removal of sand and gravel from agricultural fields, grass land after monsoon season upto a depth of two (02) meters, development of plots, excavation of fisheries ponds and any kind of other developmental activities:
		Provided that in case of material generated from road cutting of National Highway/ Express way/State Highway/H.P.P.W.D. road/ during execution of approved Hydel Projects, de-silting of reservoir, the Contractor/engaged sub-contractor or concerned

		Agency may use such material after paying the royalty along with processing charges as specified in the THIRD SCHEDULE and after verification of the stock by the concerned Mining Officer along with representative of concerned Agency not below the rank of Assistant Engineer or equivalent: Provided that if the Contractor/engaged sub-contractor or concerned Agency do not require the whole quantity of the mineral so generated during the execution of project, the Competent Authority may grant permission to any interested person(s) within a radius of 5 Kms. with the consent of concerned Agency after verification of the quantity by the Committee specified in this sub rule on payment of royalty, processing and applicable taxes for using the material: Provided further that the condition of 5 Kms. of distance shall not apply in case, the Committee recommends the feasibility of using the material beyond 5 Km. radius considering and examining site specific conditions subject to a maximum distance of 10 Kms." (b) for clause (i) of sub-rule (2) the following shall be substituted, namely:— "(i) the royalty shall be charged on the saleable mineral in advance as per the rates specified in the SECOND SCHEDULE alongwith processing charges as specified in the THIRD SCHEDULE."
Amendment of Rule 34:	9.	For clause (iv) of rule 34 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—
		"The depth of mining in the river bed shall not exceed two (02) meter or water level whichever is less:
		Provided where the Joint Inspection Committee certifies about excessive deposition or over accumulation of minerals in certain reaches requiring channelization, it can go up to three meters on defined reaches of the river."
Amendment of rule 75:	10.	In rule 75 of the said rules, after sub-rule(2), the following shall be inserted, namely:—
		"(3) No dealer shall procure, store or sale minor mineral more than 500 metric tonnes in a month."
Substitution of rule 78:	11.	For the rule 78 of said rules, following rule shall be substituted, namely:—
		"78. Penalty provisions for illegal storage:—

Any contravention of sub-rule (1), (2) and (3) of rule 75 shall be punishable with imprisonment for a term which extend to two years, or with fine which may extend to Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only), or with both: Provided that the contravention of sub-rule (1), (2) and (3) of rule 75 for the first and second time may be compounded by an officer authorized by the Government under section 22 of the Act and the case in relation to the subsequent contravention shall be filed by the officer so authorized in the competent court of law: Provided further that the amount of compounding fee shall not be less than Rs. 50,000/- plus the market sale price of the total material stored illegally at the spot." In FORM-'F' of the said rules, for serial number 4 of PART-II, the Amendment of **12.** FORM-'F': following shall be substituted, namely:— "4. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the help of tyre mounted loader with backhoe upto 80 Horse Power shall not be treated as mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE with the conditions as specified in the Rules. The excavation/digging of minerals from riverbed with excavator shall be treated as mechanical mining for which the mineral concession holder shall obtain all the necessary statutory clearances from concerned departments prior to the permission from the Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE with the conditions as specified in the rules. The lease holder may use excavator in hill slope mining with the permission of Geological Wing and after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE." Substitution 13. In the said rules, the FORM-'J' shall be substituted, namely:— FORM-'J': "FORM-'J' [See rule 21(3) & 23-A] Form for Transfer of Mining Lease/Contract In case of Transfer of Mining Lease When the transferor is an individual...... This indenture is made this...... day of...... 20..... between...... (Name of the person with address and occupation) (hereafter referred

to as the "transferor" which expression shall where the context so

admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns).

When the transferors are more than one individual......(Name of person with address and occupation) and(Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "transferor" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns).

When the transferor is a registered firm......(Name of the person with address of all the partners) all carrying on business in partnership under the firm name and style of......(Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at......(hereinafter referred to as the "transferor" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns).

And

When the transferee is an individual.......... (Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns.).

When the transferees are more than one individual.......(Name of the person with address and occupation) and(Name of person with address and occupation)(hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns).

When the transferee is a registered firm........... (Name and address of all the partners all carrying on business in partnership under the firm name and style of) (Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at....................... (hereinafter referred to as the "transferee" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns).

When the transferee is a registered company...... (Name of

the Company) a company registered under (Act under which incorporated) and having its registered office at (Address) (hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the second part.

And The Governor through (hereinafter referred to as the 'State Government' which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the third part.

Now this Deed Witnesseth as follows:

- 1. The transferee hereby covenants with the State Government that from and after the transfer and assignment of the lease the transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in said hereinbefore recited lease in the same manner in all respects as if the lease had been granted to the transferee as the lessee there under and he had originally executed it as such.
- 2. It is further hereby agreed and declared by the transferor of the one part and the transferee of the other part that
 - (i) The transferor and the transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the area for which the mining lease is being transferred vest in the State Government.

- (ii) The transferor hereby declares that he has not assigned, sublet, mortgaged or in any other manner transferred the mining lease now being transferred and that no other person or persons has any right, title or interest where under in the present mining lease being transferred.
- (iii) The transferor further declares that he has not entered into or made any Agreements, contract or understanding whereby he had been or is being Directly or indirectly financed to a substantial extent by or under which the Transferor's operation or understandings were or are being substantially controlled by any person or body of persons other than the transferor.
- (iv) The transferee hereby declares that he/she has accepted all the conditions and liabilities which the transferor was having in respect of such contract/lease.
- (v) The transferee further declares that he is financially capable of and will directly undertake mining operations.
- (vi) The transferee further declares that he has filed an affidavit stating that he has filed up-to-date Income Tax returns.
- (vii) The transferor has supplied to the transferee the original or certified Copies of all plans of workings in the area.
- (viii) The transferor has paid all the rent, royalties, and other dues towards Government till the date, in respect of this contract/lease.

In witness whereof the parties hereto have signed on the date and year first above written.

SCHEDULE

Location and area of the contract/lease

All that tract of lands si	tuated at					
(Description of area or areas	.)			in	(Parg	ana) in
	the Regis	stration Dis	tt			Sub
Districtar	nd Thana	ì	1	beari	ng Ca	dastral
Survey Nos		containi	ng	an	are	a of
or the	reabout	delineated	on	the	plan	hereto
annexed and thereon coloure	ed			;	and bo	ounded
as follows:—						

ON THE NORTH BY ON THE SOUTH BY ON THE EAST BY

AND

ON THE WEST BY

Signed by

for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of witnesses

1.

2.

Signature of transferor in the presence of witnesses

1.

2.

Signature of transferee in the presence of witnesses

1.

2.

OR

In case of Transfer of Contract

When the transferors are more than one individual......(Name of person with address and occupation) and(Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "transferor" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns).

When the transferor is a registered firm......(Name of the person with address of all the partners) all carrying on business in partnership under the firm name and style of......(Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932(9 of 1932) and having their registered office at......(hereinafter referred to as the "transferor" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns).

When the transferor is a registered company (Name of Company) a company incorporated under the Companies Act, 2013

through duly auhorised by the Company and having its registered office at (Address) (hereinafter referred to as the "transferor" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the first part.

And

When the transferee is an individual.......... (Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns.).

When the transferees are more than one individual.......(Name of the person with address and occupation) and(Name of person with address and occupation)(hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns).

When the transferee is a registered firm........... (Name and address of all the partners all carrying on business in partnership under the firm name and style of) (Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at.................. (hereinafter referred to as the "transferee" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns).

When the transferee is a registered company....... (Name of the Company) a company registered under (Act under which incorporated) and having its registered office at (Address) (hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the second part.

And The Governor through (hereinafter referred to as the 'State Government' which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the third part.

 observance and performance of the Contractor's covenant and conditions in the said deed of contract reserved and contained including a covenant not to assign the contract or any interest there under without the previous sanction of the State Government;

Now this Deed Witnesseth as follows:

- 1. The transferee hereby covenants with the State Government that from and after the transfer and assignment of the contract the transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in said hereinbefore recited contract in the same manner in all respects as if the contract had been granted to the transferee as the contractor thereunder and he had originally executed it as such.
- 2. It is further hereby agreed and declared by the transferor of the one part and the transferee of the other part that
 - (i) The transferor and the transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the area for which the contract is being transferred vest in the State Government.
 - (ii) The transferor hereby declares that he has not assigned, sublet, mortgaged or in any other manner transferred the contract now being transferred and that no other person or persons has any right, title or interest where under in the present contract being transferred.
 - (iii) The transferor further declares that he has not entered into or made any Agreements, contract or understanding whereby he had been or is being Directly or indirectly financed to a substantial extent by or under which the Transferor's operation or understandings were or are being substantially controlled by any person or body of persons other than the transferor.
 - (iv) The transferee hereby declares that he/she has accepted all the conditions and liabilities which the transferor was having in respect of such contract.

- (v) The transferee further declares that he is financially capable of and will directly undertake mining operations.
- (vi) The transferee further declares that he has filed an affidavit stating that he has filed up-to-date Income Tax returns.
- (vii) The transferor has supplied to the transferee the original or certified Copies of all plans of workings in the area.
- (viii) The transferor has paid all the rent, royalties, and other dues towards Government till the date, in respect of this contract.

In witness whereof the parties hereto have signed on the date and year first above written.

SCHEDULE

All that tract of lands	situated at		
(Description of area	or areas)	in (Parg	gana) in
	the Registration	Distt	Sub
District	and Thana	bearing C	adestral
Survey Nos		containing an	area of
	or thereabout delinea	ated on the plan	hereto
annexed and thereon	coloured	and b	ounded
as follows:—			

ON THE NORTH BY ON THE SOUTH BY ON THE EAST BY

Location and area of the contract

AND

ON THE WEST BY

Signed by

for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of witnesses

1.

2.

Signature of transferor in the presence of witnesses

0/30	राजन	স, চিণাপ	ल अपरा, 04	अपराषर, 2024 / 12	जारपर्रा, 1940		
		1.					
		2.					
		Signature of transferee in the presence of witnesses					
		1.					
		2. "					
	1.4				11 (21) CDADE H		
Amendment of FORM-`K':	14.			n FORM-K, for s be substituted, nar	erial number (21) of PART-IV, mely:—		
		"21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the help of tyre mounted loader with backhoe upto 80 Horse Power shall not be treated as mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE with the conditions as specified in the rules.					
		The excavation/digging of minerals from riverbed with excavator shall be treated as mechanical mining for which the mineral concession holder shall obtain all the necessary statutory clearances from concerned departments prior to the permission from the Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE with the conditions as specified in the Rules. The lease holder may use excavator in hill slope mining with the permission of Geological Wing and after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE."					
Omission of	15.	The FORM-'L' appended to the said rule shall be Omitted.					
FORM-`L' Form for		The Fortal D appointed to the said full shall be offitted.					
Permits:							
Amendment of FIRST SCHEDULE:	16.	In the FIRST SCHEDULE appended of the said rules, for serial number 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 and 15, the following shall be substituted, namely:—					
		FEE REQUIRED UNDER THE RULES					
		S1. No.	Rule	Particulars	Fee (in Rupees)		
		2.	7 (h)(i) and 16(2)	Application fee for Mining Lease/Renewal of Mining Lease	Rs. 25,000/- (non-refundable)		
		4.	19(15) and	Application fee for Mechanical	Rs. Fifty Lakhs (50,00,000/-) for a period of two (02) years		

	23(6)	Mining in Riverbed	for an area 10 Hect. and thereafter Rs. one Lakh (1,00,000/-) per hectare for area more that 10 Hectares on pro-rata basis (Non-refundable).
		Security for Mechanical Mining in Riverbed	(25,00,000/-) for a period of
		Application fee for Mechanical Mining in Hill Slope	-
		Security for Mechanical Mining	Rs. 2,00,000/-
		Application fee for tyre mounted loader upto 80 Horse Power with backhoe	Rs. Twelve Lakhs (12,00,000/-) for a period of two (02) years for an area upto five (05) Hectares and thereafter Rs. Twenty Five Thousand (25,000/-) per hectare for area more that 5 Hectares on pro-rata basis (Non-refundable).
		Security for tyre mounted front end loader upto 80 Horse Power with backhoe	Rs. 2,50,000/-
5.	21 (1) and 23 (A)	Fee for Transfer of Mining Lease and Transfer of contract	In case of mining lease:— 2,50,000/- (Non-refundable) upto 5 hectares area and thereafter 50,000/-per hectare for the area more than 5 hectares on pro-rata basis.
			In case of Auction/ Tender:— 5,00,000/- (Non-refundable) upto 5 hectares

6738	राजान	স, ।হণাণ	ल प्रदरा, 04	अक्तूबर, 2024 / 12	आरिपर्ग, 1946
					area and thereafter 1,00,000/- per hectare for the area more than 5 hectares on pro-rata basis.
		6.	21 (2) and 23 (A)	Fee for Transfer of Letter of Intent and Sanction Order and Transfer of contract	In case of mining lease:— 1,00,000/- (Non-refundable) upto 5 hectares area and thereafter 20,000/-per hectare for the area more than 5 hectares on pro-rata basis.
					In case of Auction/Tender:— 2,50,000/- (Non-refundable) upto 5 hectares area and thereafter 50,000/-per hectare for the area more than 5 hectares on pro-rata basis.
		7. 9.	29(3) 40(2)	Application fee for Permit Fee for	Omitted 25,000/-
			, ,	Modification of Mining Plan	·
		11.	60	Fees for Appeal	5,000/- (non-refundable)
		12.	68(2)	Application fee for Joint Inspection of Stone Crusher Site.	20,000/- (Non-refundable)
		13.	69(1)	Application fee for Permanent Registration of Stone Crusher.	25,000/- (Non-refundable)
		14.	74(2)(a)	Application fee for Registration as a dealer.	2,50,000/- (Non-refundable)
		15.	77(1)	Security for Dealer Registration	2,50,000/-
Amendment of THIRD SCHEDULE:	17.				
		"B. RATES OF SURFACE RENT FOR GOVERNMENT LAND IN RUPEES PER HECTARE PER ANNUM			

	410	जपत्र, हिमाचल प्रदेश, ०४ अक्तूबर, २०२४ / १२ आश्विन, १९४६ - ६७						
		[see rule 19(1)(d)]						
		Sl. No.	Name of the Mineral		e of Surface Rent 0/- per hectare."			
		1.	III WIIIIOI WIIIICIUIS	K 3. 30,000	per necture.			
			THIRD SCHEDUI owing shall be inser		e said rules, after PART-			
		"C. C	ESS AND OTHER	R CHARGES				
			[see rule	e 19(1)(a) & 33 (2)	(i)]			
		Sl. No.	Name of Mineral	Name of ces and charges	1			
		1.	All Minor Minerals	Online charge	es Rs. 5/			
			All Minor Minerals	<u> </u>	Rs. 5/-			
		l	All Minor Mineral		Rs. 2/-			
		4.	All Minor Mineral	Processing Charges	Equivalent to 75% of the royalty"			
Amendment of FOURTH SCHEDULE:	18.	existing		* *	the said rules, for the e following shall be			
		Rule	Limit	Authorized Officers	Limit			
		30	Power to grant permits for extraction of minor mineral.	Director of Industries	Omitted			

By order,

Sd/-(R.D.NAZEEM, IAS), Principal Secretary (Industries).

सामान्य प्रशासन विभाग (गोपनीय एवं मन्त्रीपरिषद)

अधिसूचना

शिमला-171002, 03 अक्तूबर, 2024

संख्याः जी.ए.डी.—सी—ए(3)—1/2024.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश सं0 5—1/71—जी.ए.डी.(सी सी), तारीख 25 जनवरी, 1971 द्वारा विरचित दी रूल्ज ऑफ बिजनेस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम
 और प्रारम्भ ।
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी रूल्ज ऑफ बिजनेस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, (अठारहवां संशोधन) नियम, 2024 है ।
- (2) ये नियम राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 26 का दी रूल्ज ऑफ बिजनेस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रूल्ज, 1971 के संशोधन। रूल 26 के विधायन परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात :——

"Provided that while ordering the directions for disposal of the cases in the department by way of Standing Orders, the Minister-incharge shall after granting initial specific approval to projects/scheme/beneficiary for implementation of Schemes/projects/programmes under all Centrally Sponsored Schemes and Externally Aided Projects, the cases relating to subsequent sanctioning/releasing of funds under these Schemes shall be disposed of at the level of Secretary of the Department."

राज्यपाल के आदेश द्वारा.

हस्ताक्षरित / – मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-C-A(3)-1/2024, dated 03-10-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Confidential & Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 3rd October, 2024

No. GAD-C-A(3)-1/2024.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following

rules further to amend the Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh, 1971 framed vide Order No.5-1/71-GAD(CC), dated 25th January, 1971, namely:—

- Commencement.
- 1. Short title and 1. These rules may be called the Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh (18th Amendment) Rules, 2024.
 - 2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
- Amendment In rule 26 of the Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh, 1971, the following new proviso shall be added after existing **Rule 26.** proviso, namely:—

"Provided that while ordering the directions for disposal of the cases in the department by way of Standing Orders, the Minister-inshall after granting initial specific approval projects/scheme/beneficiary for implementation of schemes/projects/programmes under all Centrally Schemes and Externally Aided Projects, the cases relating to subsequent sanctioning/releasing of funds under these Schemes shall be disposed of at the level of Secretary of the Department."

By order of the Governor,

Sd/-Chief Secretary.

CHANGE OF NAME

I am Tarki Devi w/o Late Sh. Kalami Ram, permanent resident of Village Chiksa, P.O. Deothi, Tehsil Rampur, District Shimla. My name is registered as Tara in Aadhar Card whereas in the Panchayat records it is Tarki Devi. In such a situation, I should be known as Tarki Devi.

> TARKI DEVI w/o Late Sh. Kalami Ram, permanent resident of Village Chiksa, P.O. Deothi, Tehsil Rampur, District Shimla.

CHANGE OF NAME

I, Parwati d/o Sh. Dasaundhi Ram, presently w/o Late Sh. Prem Singh Bhardwaj, r/o Village Himmer, P.O. Berthin, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) have changed my name from Prem Lata w/o Late Sh. Prem Singh to Parwati w/o Late Sh. Prem Singh Bhardwaj, for all purpose in future. Please note.

PARWATI d/o Dasaundhi Ram, w/o Late Sh. Prem Singh Bhardwaj, r/o Village Himmer, P.O. Berthin, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhop Singh s/o Jogi, V.P.O. Segli, Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar No. 9533 5617 9961 wrongly my name is entered as Bhupa whereas my correct name is Bhop Singh. Note plese.

BHOP SINGH s/o Jogi, V.P.O. Segli, Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vijay Rana s/o Kehar Singh, r/o Village Kallu di Hatti, P.O. Maranda, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that in the school record of my daughter named Devanshi Rana my name is entered as Vijay & her mother's name is entered as Samita. But my correct name is Vijay Rana & mother's name is Sameeta Kumari.

VIJAY RANA s/o Kehar Singh, r/o Village Kallu, di Hatti, P.O. Maranda, Tehsil Palampur,District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kumari Monal w/o Sh. Suresh Thakur, r/o Ward No. 1, Hira Nagar Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Monal Thakur to Kumari Monal for all purposes in future. Please note.

KUMARI MONAL w/o Sh. Suresh Thakur, r/o Ward No. 1, Hira Nagar Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dharm Singh s/o Raghu Ram, r/o Village Banon, P.O. Jassal, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card and Pan Card my name is entered as Dharm Singh. But in the account of Indian Bank my name is entered as Dharm Singh Verma. Dharm Singh and Dharm Singh Verma is one person. All concerned please note.

DHARM SINGH s/o Raghu Ram, r/o Village Banon, P.O. Jassal, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.).